<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड,</u>
<u>जिला बिलासपुर (छ.ग.)</u>

जमानत प्रक.क्र. 1 / 20178
संस्थित दिनांक 2–1–2018

पक्षकार :
नवीन तिवारी आ. भीसम प्रसाद उर्फ मिठाईलाल,
उम्र 30 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी ब्राम्हणपारा,
गोरखपुर, थाना गौरेला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
. . . . आवेदक / अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

छ.ग. राज्य,
द्वारा थाना गौरेला,
जिला बिलासपुर (छ.ग.) . . . . .अनावेदक / अभियोगी

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.</u>

———————————————————————————

4-1-2018 आवेदक / अभियुक्त की ओर से श्री अरूण गुप्ता, अधिवक्ता।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री पवन त्रिपाठी, अति. लोक अभियोजक।

प्रकरण केस डायरी एवं रिमांड प्रपत्र हेतु नियत है।

थाना गौरेला से अप.क्र. 356 / 17 धारा 34(2), 59क आबकारी अधिनियम की केस डायरी एवं न्यायालय न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड से थाना गौरेला के उक्त अपराध से संबंधित रिमांड प्रपत्र प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

इस आदेश के द्वारा आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत करते हुए उल्लेखित किया गया है कि थाना गौरेला के द्वारा आवेदक / अभियुक्त को अप.क्र. 356 / 17 धारा 34(2), 59अ आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर दि. 29–12–2017 को न्यायालय न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड के समक्ष रिमांड प्रस्तुत किया गया था जहॉ उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. निरस्त करते हुए उसे

न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आवेदक निर्दोष हैं, उसे झूठा फॅसाया गया है। उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त उपवास होने के कारण ग्रम गौरेला में पूजा का सामान लेने आया था तो उसे थाना गौरेला द्वारारास्तें में पकड़कर थाने में बैठा लिया गया है और उससे 6 लीटर शराब की फर्जी जप्ती बना दी गई। आवेदक/अभियुक्त के छोटे–छोटे बच्चे हैं, आवेदक के अधिक दिनों तक जेल में रहने से उसके परिवार की स्थिति दयनीय हो जाएगी। आवेदन की कंडिका 9 में यह भी उल्लेखित किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र है जिसके अलावा इस प्रकृति का कोई भी अन्य जमानत आवेदन पत्र किसी भी सत्र न्यायालय या माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निरस्त किया गया है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पिता भीष्मप्रसाद तिवारी का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुरूप तर्क करते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन गया गया है। इसके विपरीत अनावेदक/राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

थाना गौरेला के अप.क्र. 356/17 धारा 34(2), 59क आबकारी अधिनियम की केस डायरी एवं न्यायालय न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड से थाना गौरेला के उक्त अपराध से संबंधित रिमांड प्रपत्र का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि दि. 28–12–2017 को थाना गौरेला में पदस्थ उप निरीक्षक उमराव सिंह को हमराह स्टाफ के साथ टाउन पेट्रोलिंग के दौरान गोरखपुर रेल्वे फाटक के पास एक व्यक्ति के प्लास्टिक थैले में देशी महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार करने की सूचना पर मौके पर रेड कार्यवाही करने पर आवेदक/अभियुक्त के कब्जे में 6 लीटर देशी महुआ शराब होना पाये जाने तथा उसे धारा 91 दं.प्र.सं. के तहत नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा उक्त शराब रखने के संबंध में कोई

वैध दस्तावेज/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 34(2), 59क आबकारी अधिनियम के तहत अप. क्र. 356/17 पंजीबद्ध किया गया है और उसे उक्त घटना दिनांक को ही गिरफ्तार कर दि. 29–12–2017 को न्यायालय न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के आधिपत्य से 6 बल्क लीटर देशी महुआ शराब जप्त किया गया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी महुआ शराब अवैध रूप से रखा जाना प्रथमदृष्टया दर्शित है। निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखना एवं विक्रय करना समाज के हित के विपरीत है। आवेदक/अभियुक्त से जप्त शराब की मात्रा एवं मामले के तथ्य–परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप <u>आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।</u>

आदेश की प्रति सूचनार्थ संबंधित रिमांड प्रपत्र के साथ न्यायालय न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड को प्रेषित की जावे।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ केस डायरी सहित थाना गौरेला को भेजी जावे।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(हिरेन्द्र सिंह तेकाम)
अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड,
जिला बिलासपुर (छ.ग.)